भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 509
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी के मामले

†509. श्री धनुष एम. कुमारः
श्रीमती मंजुलता मंडलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1.1.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन अवैध नकद लेनदेन से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, विशेष रूप से तमिलनाडु,ओडिशा और राजस्थान के अलवर जिले में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आज तक ऐसे किसी मामले का समाधान किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या विशेष रूप से तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान के अलवर जिले में कोई मामले अभी भी अनसुलझे हैं और यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ऑनलाइन अवैध नकद लेनदेन से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ):राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है।नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की

रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार,राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनके प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन में सहायता प्रदान करती है।केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से'भारतीय साइबरअपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने के लिए आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिएआई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है।नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के बाद से, 4.7 लाख से अधिक शिकायतों में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। दिनांक 1.1.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरणअनुलग्नक में दी गई है।अब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 3.2लाख से अधिक सिम कार्ड और 49,000 आईएमईआईएस को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

सर्ट-इन कंप्यूटरों, मोबाइल फोनों, नेटवर्कों और डाटा की सुरक्षा के लिए अद्यतन साइबर खतरों/कमजोरियों और प्रतिउपायों के संबंध में निरंतर आधार पर चेतावनियां और सलाह जारी करता है । भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सर्ट-इन ने देश में प्री-पेड भुगतान इन्स्ट्रूमेंट्स(वॉलेट) जारी करने वाली सभी प्राधिकृत कंपनियों और बैंकों को सीईआरटी-इन-पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करने, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पहचाने गए गैर-अनुपालनों को बंद करने और सुरक्षा संबंधी

सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।सर्ट-इन और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'वित्तीय धोखाधड़ी से सावधान रहें और सावधान रहें' पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर)(@Cyberdost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberdostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, माईगवको कई माध्यमों से प्रचार हेतु उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना आदि शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रचार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अनुरोध किया गया है।

*****

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 509 दिनांक 06.02.2024</u>

अनुलग्नक

दिनांक 1.1.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल दर्ज शिकायतें	रिपोर्ट की गई राशि (रुपये लाख में)	होल्ड पर रखे शिकायतों की संख्या	लियन राशि (रुपये लाख में)
1	अंडमान और निकोबार	526	311.97	161	26.46
2	आंध्र प्रदेश	33507	37419.77	9580	4664.14
3	अरुणाचल प्रदेश	470	765.79	127	34.39
4	असम	7621	3441.8	2163	451.61
5	बिहार	42029	24327.79	11533	2779.41
6	चंडीगढ़	3601	2258.61	1058	296.67
7	छत्तीसगढ़	18147	8777.15	5056	898.41
8	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव	412	326.21	105	40.88
9	दिल्ली	58748	39157.86	13674	3425.03
10	गोवा	1788	2318.25	450	153.22
11	गुजरात	121701	65053.35	49220	15690.9
12	हरियाणा	76736	41924.75	21178	4653.4
13	हिमाचलप्रदेश	5268	4115.25	1502	370.78
14	जम्मूऔरकश्मीर	1046	786.56	253	62.55
15	झारखंड	10040	6788.98	2822	556.38
16	कर्नाटक	64301	66210.02	18989	7315.52
17	केरल	23757	20179.86	8559	3647.83
18	लद्दाख	162	190.29	41	10.03
19	लक्षद्वीप	29	19.58	6	0.51
20	मध्यप्रदेश	37435	19625.03	9336	1462.33
21	महाराष्ट्र	125153	99069.22	32050	10308.47
22	मणिपुर	339	333.03	108	66.94
23	मेघालय	654	424.2	252	46.71
24	मिजोरम	239	484.12	75	35.44
25	नागालैंड	224	148.94	73	18.09
26	ओडिशा	16869	7967.11	5187	1049.34
27	पुडुचेरी	1953	2020.34	568	143.38
28	पंजाब	19252	12178.42	4923	1332.66
29	राजस्थान	77769	35392.09	20899	3934.82
30	सिक्किम	292	197.92	65	18.01
31	तमिलनाडु	59549	66123.21	17941	6980.72
32	तेलंगाना	71426	75905.62	26148	13137.94
33	त्रिपुरा	1913	900.35	488	84.82
34	उत्तराखंड	17958	6879.67	4813	708.94
35	उत्तरप्रदेश	197547	72107.46	44089	5906.86
36	पश्चिमबंगाल	29804	24733.33	6307	1845.97
	कुल	**1128265**	**748863.9**	**319799**	**92159.56**